10/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी सुरेश कुमार ने पेश किया व प्रा. पत्र का जवाब पेश किया, जो शामिल है। बहस प्रा. पत्र वकील अप्रार्थी की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 17/4/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

17/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान व पैरोकार सरकार उप.। बहस प्रा. पत्र पर गौर किया व जवाब प्रा. पत्र व पत्रावली का परीक्षण किया गया तो संलग्न दस्तावेजात अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी रामकिशोर की जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 25/1/23 के द्वारा बेचान की जा चुकी है जबकि पैरोकार सरकार द्वारा बिना रिकार्ड की जाँच किए व मौके की स्थिति को देखे बिना व बिना क्रेता को पक्षकार बनाए वादपत्र 177 का पूर्व खातेदारान के विरुद्ध बनाकर पेश किया गया, है, जो गलत पेश किया गया है जो कि उक्त भूमि का बेचान होने के बाद पूर्व खातेदारान का बेचानशुदा भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। बेचान पत्र जो किया गया है जो मौके कि जाँच किया जाकर निष्पादित किया गया है जिसमें साफ जाहिर है मौके पर कोई कच्चा-पक्का निर्माण नहीं है, तहसीलदार द्वारा जो 177 का वाद पत्र पेश किया है वो बिना जाँच, रिकार्ड व मौके की स्थिति देखे बिना पेश किया गया है, जो सारहीन है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रा. पत्र 177 खारिज किए जाने का खारिज किया जाता है। प्रा. पत्र 177 खारिज किए जाने से स्थगन आदेश दिनांक 2/3/23 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamS